माननीय न्यायमूर्ति आई. के. सीकरी, मुख्य न्यायाधीश और राकेश कुमार जैन के समक्ष

शिवानी गुप्ता और अन्य- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य- प्रतिवादी

2012 की सीडब्ल्यूपी संख्या 15929

दिसम्बर 21,2012

I. भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 14, 226 और 309 - रिट क्षेत्राधिकार - हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल कैडर (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2012 - हरियाणा राज्य शिक्षा व्याख्याता स्कूल

संवर्ग (ग्रुप सी) सेवा नियम, 1998 - स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) - हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी) - से छूट - 2012 में संशोधन इस संबंध में नियम - अतिथि संकाय शिक्षक (जीएफटी) 2005 से प्रति व्यक्ति प्रति दिन के आधार पर भर्ती किए गए - निर्देश दिनांक 29.11.2005 - नियमित शिक्षक - को चुनौती - जेल में बंद नियमितीकरण का लाभ प्राप्त करने के लिए जीएफटी द्वारा पिछले मुकदमेबाजी का इतिहास -सरकार का दोहरा रुख - नोट (i) परिशिष्ट बी और संक्रमणकालीन में जीएफटी को लाभ पहुंचाने और मोहिंदर कुंतर के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के जनादेश को दरकिनार करने के लिए सरकार द्वारा अंतस्थापित 2012 के नियमों के नियम 19-ए और अशोक कुमार के मामले में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी छूट, एक बार के उपाय के रूप में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है और न ही किसी अन्य अवैधता से ग्रस्त है।

अभिनिर्धारित किया गया कि पक्षों के लिए विद्वान वकील के तर्कों पर उचित विचार करने के बाद हमारा निष्कर्ष यह है कि नियम की वैधता पर हमला किसी भी योग्यता से रहित है और कानूनी सिद्धांतों की कसौटी पर जांच करने पर कुंद हो जाता है। नियमों में कोई दोष नहीं है और नियम, 2012 के परिशिष्ट 'बी' में नोट (i)। चार वर्ष के अनुभव वाले शिक्षकों को एसटीईटी/आईटीबीटी और बीएड उत्तीर्ण करने से छूट देना, एक बार के उपाय के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है या किसी अन्य अवैधता से ग्रस्त है।

(पैरा 22)

नोट (i) 2012 के नियमों में परिशिष्ट बी - की वैधता - जीएफटी को छूट प्रदान करता है - भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 309 परंतुक - उसके अधीन बनाए गए नियमों में विधान का स्वरूप होता है - दुर्भावना के आधार पर कानून पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है - 2012 में बनाया गया अपवाद नियम केवल जीएफटी को नियमित शिक्षक के पद के लिए पात्र बनाने के लिए हैं - नीतिगत निर्णय को वैधानिक आकार दिया गया है - सरकार के पास किसी विशेष प्रावधान में छूट देने की शक्ति है विशेष मामले और न्यायसंगत और न्यायसंगत तरीके से किसी मामले से निपटने के लिए - छूट/छूट प्रदान करने वाले 20f2 नियमों में प्रावधान बरकरार रखा गया

अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियमों में न केवल वैधानिक चरित्र है, ऐसे नियमों को स्वयं कानून का स्वरूप दिया गया है। एक बार जब यह स्थिति स्वीकार कर ली जाती है, कि पूर्वोक्त नोट पेश करना दुर्भावनापूर्ण है, तो इस पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक क़ानून पर दुर्भावनापूर्ण के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इस संबंध में कानून, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा अच्छी तरह से आधारित है।

(पैरा 30)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालयों ने माना है कि जब किसी विशेष प्रावधान को शिथिल करने की शक्ति होती है, तो सरकार किसी विशेष आसानी से अनुचित कठिनाई को कम करने और न्यायसंगत और न्यायसंगत तरीके से आसानी से निपटने के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। [सेक, जेसी यादव बनाम हरियाणा राज्य, एआईआर 1990 एससी 857 और केके खोसला और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, एआईआर 1990 एससी 1069]। वर्तमान सरलता से, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने का भी प्रश्न नहीं उठता क्योंकि प्रावधान नियमों में ही किया गया है जो प्रकृति में विधायी है। इस प्रकार, यह एक नीतिगत निर्णय है जिसे वैधानिक आकार दिया गया है।

(पैरा 33)

पिछली मुकदमेबाजी:

(I) 2006 की सीडब्ल्यूपी 2743 बलराज सिंह बनाम (क) क्या यह सच है कि राज्य द्वारा दिनांक 10022012 को निर्धारित एसएलपी को खारिज कर दिया गया है;

(द्वितीय) 2007 की सीडब्ल्यूपी 387 बलदेव सिंह वी। 1 हरियाणा राज्य। नियमितीकरण के मुद्दे पर 30-08-2007 को बर्खास्त;

(iii) 2009 की सीडब्ल्यूपी 13045 अशोक कुमार वी। (क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा दिनांक 02-12-2008 के अनुदेशों के तहत दिनांक 02-12-2008 और 02-03-2009 के तहत जीआईटी में छूट को रद्द कर दिया गया है; 2010 मोहिंदर कुमार बनाम हरियाणा राज्य की एसएलपी 24882, जीआईटी द्वारा, खारिज कर दिया गया और अशोक कुमार की आसानी में निर्णय बरकरार रखा गया:

(चतुर्थ) 2010 की सीडब्ल्यूपी 6090 (पीआईएल) तिलक राज वी। हरियाणा राज्य नियमित शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के लिए; 30.03.2011 को निर्णय लिया गया; अन्य बातों के साथ-साथ जीआईटी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए 31032012 की अंतिम तिथि निर्धारित करना: समय के विस्तार के लिए राज्य द्वारा सीएम बर्खास्त; (क) क्या यह सच है कि राज्य द्वारा 30032012 को विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) का निर्णय लिया गया था;

अनुपम गुप्ता, एंजेल शर्मा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता; जगबीर मलिक, श्री जसबीर मोर, श्री ए.के. बुरा, सतबीर गिल, रवि प्रताप सिंह, जेपी शर्मा, राजेश लांबा, हरीश नैन, एचएन साहू, सौरभ दलाल, एसएस घनघस, विजय पाल, मोहित गर्ग, मदन पाल, सुरेश अहलावत, आनंद भारद्वाज, जेपी शर्मा, नरेंद्र कुमार शर्मा, विवेक गोयल, संदीप पान वार, पीएस खुराना, गौरव जिंदल, डीपीएस बाजवा, अशोक कौशिक, एमएस रंधावा, एसपी चाहर, मित्तल, विवेक खत्री, राजबीर श्रावत, संजीव गुप्ता, बीएस ढुल, सतीश चौधरी, जितेंद्र एस. चहल, आर. एस. ढुल, एस. के. यादव, आर. के. हुड्डा, राजेश दूहन, अनुराग गोयल, केएस डडवाल, सुरिंदर डागर, जैनिंदर सैनी, डॉ. सुरेश कुमार रेधू, श्री आई एलएन। खंडुज ए, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के लिए।

जी। चतरथ, वरिष्ठ अधिवक्ता अलका चतरथ, एलपीए-1715-2012 में अपीलकर्ता के वकील

राणा, अपर महाधिवक्ता, हरियाणा

ए.के. सीकरी, मुख्य न्यायमुर्ति

परिचयात्मक टिप्पणी

(1) वर्तमान विवाद की उत्पत्ति, इन रिट याचिकाओं की विषय-वस्तु का पता नवम्बर, 2005 से लगाया जा सकता है जब शिक्षकों की कमी के कारण जिला शिक्षा अधिकारियों को स्वीकृत पदों पर अतिथि

संकाय शिक्षकों (जीएफटी) को नियुक्त करके लेक्चरर, स्नातकोत्तर और सी एंड वी शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के लिए पे्ररित किया गया था। इन जीएफटी को प्रारंभ में वर्ष 2005 में विभिन्न तारीखों पर नियुक्त किया गया था और इन्हें 31-3-2006 तक जारी रहना था। हालांकि, जैसा कि उचित स्तर पर विस्तार से नोट किया जाएगा, इनमें से अधिकांश जीएफटी उस अवधि से आगे भी जारी रहे और अब भी सेवा में हैं। इस बीच, विभिन्न रूपों में कानूनी लड़ाई हुई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाया गया। विभिन्न सुगमताओं का परिणाम यह था कि जीएफटी को केवल उनकी सेवा की लंबाई के कारण नियमित नहीं किया जाना चाहिए; दिनांक 01042012 से जीएफटी की कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी और नियमित चयन की प्रक्रिया को विनिदष्ट समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

(2) हरियाणा राज्य ने अब विभिन्न विषयों में शिक्षकों के पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए कदम उठाए हैं। मांग हरियाणा स्कूल शिक्षक चयन बोर्ड को भेजी जाती है (इसके बाद संदर्भित किया जाना है

इस उद्देश्य के लिए चयन बोर्ड के रूप में) के रूप में। ऐसा करने से पहले, नए सांविधिक नियम, नामत 'हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल कैडर (ग्रुप-बी) सेवा नियम। (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय (2012 के नियम) (जिसे इसके बाद 2012 के नियम कहा जाएगा) प्रख्यापित किए गए हैं। इससे पहले, 'हरियाणा राज्य शिक्षा व्याख्याता स्कूल कैडर (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1998 (संक्षेप में, '1998 के नियम') के रूप में जाने जाने वाले नियम प्रचलन में थे।

(3) 1998 के नियमों के अवलोकन परिशिष्ट 'बी' के अनुसार, यह स्पष्ट है कि लेक्चरर के पद के लिए आवश्यक मूल योग्यता गणित के साथ संबंधित विषय में एमए थी और स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) (जिसे 2008 में जोड़ा गया था) में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र था, लेकिन अब नए नियमों के माध्यम से, बीएड के साथ-साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की योग्यता जोड़कर एक संशोधन किया गया है। और एसटीईटी उत्तीर्ण करने के बाद, नियमों में बुनियादी आवश्यक योग्यताओं की इस शर्त के बावजूद, परिशिष्ट 'बीएल नोटिक' के अंत में दिया जाता है, जिसके द्वारा एसटीईटी/I हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी) उत्तीर्ण करने से उन उम्मीदवारों को छूट दी जाती है जिन्होंने इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख को शिक्षकों के रूप में न्यूनतम चार वर्ष की अवधि के लिए काम किया है।

(4) विज्ञापन जारी किया गया है जिसके तहत विभिन्न विषयों में पीजीटी शिक्षकों के लगभग 14,000 पदों को विज्ञापित किया गया है। निर्दिष्ट सभी पदों के लिए सामान्य योग्यता: (ए) हिंदी / संस्कृत के साथ मैट्रिक या 101 2 / बीए / एमए के साथ मैं हिंदी विषय के रूप में और (बी) एचटीईटी / एसटीईटी उत्तीर्ण होने

का प्रमाण पत्र। इसके अतिरिक्त, एनओटीसी-2 के अंतर्गत उन अभ्यथयों को एच टी ई / एसटीईटी की एक छूट प्रदान की गई है जिन्होंने निजी रूप से प्रबंधित सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और सरकारी स्कूलों में दिनांक 11042012 तक न्यूनतम चार वर्षों तक कार्य किया है। यह भी प्रदान किया गया है कि यह छूट केवल एक बार है और उम्मीदवारों को एसटीईटी / एचटीईटी अर्हता प्राप्त करने के लिए 1.4.2015 के बाद नहीं होगा। अन्यथा, उनकी सेवाएं स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगी।

(5) कुछ समय बाद, एक और अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा नियम 19-ए के तहत एक संक्रमणकालीन प्रावधान जोड़कर 2012 के नियमों में संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा एक बार उपाय के रूप में, यह प्रदान किया गया है कि उम्मीदवार जो भी 1998 के नियमों के तहत अर्हता प्राप्त थे, वे भी पात्र होंगे 1 या भर्ती और उन्हें 1.4.2015 तक आईटी यदि मैं और बीएड अर्हता प्राप्त करनी होगी। तत्पश्चात्, दिनांक 03072012 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था जिसके द्वारा संक्रमणकालीन प्रावधान के अंतर्गत 1998 की नियमावली के तहत पात्र उम्मीदवारों को भी एकबारगी उपाय के रूप में पात्र बनाया गया था और इसके बाद भी एक बार पात्र बनाया गया था

छूट उन उम्मीदवारों को दी जाती है जिनके पास एचटीईटी/एसटीईटी और बीएड उत्तीर्ण करने की अर्हताएं अजत करने के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने की तारीख को पद पर रहने के अलावा 11042012 तक चार वर्ष का अनुभव हो।

(6) इनमें से अधिकांश याचिकाओं में, याचिकाकर्ता उन उम्मीदवारों को शामिल करते हैं जो 2012 के नियमों में निर्धारित आवश्यक योग्यता को पूरा करते हैं। उन्होंने पीजीटी शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन किया है और चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार हैं जो चल रही है। हालांकि, वे 2012 के नियमों में नोट (i) के खिलाफ उत्तेजित हैं, जो उन उम्मीदवारों को स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी)/हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी) उत्तीर्ण करने से छूट देता है, जिन्होंने इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख को कम से कम चार साल की अवधि के लिए शिक्षक के रूप में काम किया है, यानी 11.4.2012 को। वे 2.7.2012 को आगे संशोधन से भी दुखी महसूस करते हैं, जिसमें ऐसे शिक्षकों के लिए बीएड की योग्यता में छूट दी गई है। वे इस आशंका का पोषण करते हैं कि यह सब इन जीएफएल को समायोजित करने और चुनने के लिए किया जाता है जो सरकार का प्रकट इरादा है, पिछले मुकदमों में पर्याप्त रूप से प्रदर्शित किया गया था जिसमें नियमित शिक्षकों के इन जीईटी का दर्जा देने के लिए अति-ईर्ष्यापूर्ण प्रयास किए गए थे। यही कारण है कि इन संशोधनों को चुनौती देते हुए इन रिट याचिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

(7) शिकायतों के साथ-साथ विवाद की रूपरेखा को समझने के लिए, हम यहां CWPNo में की गई प्रार्थना को नीचे पुन: प्रस्तुत करते हैं। 2012 का 15929:

"अत: आदरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि:-

(मैं) आसानी के रिकॉर्ड के लिए कहा जा सकता है;

(द्वितीय) अनुबंध की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने को कृपया छोड़ दिया जाए और याचिकाकर्ता को भी अनुलग्नकों की उचित टाइप की गई प्रतियों को दाखिल करने से छूट दी जा सकती है और उसी की फोटो प्रतियां रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी जा सकती है;

(iii) उत्तरदाताओं पर अग्रिम नोटिस की सेवाएं जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया;

(चतुर्थ) हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल कैडर (समूह बी) सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 के नोट (i), परिशिष्ट 'बी' और मेवात जिला स्कूल शिक्षा (समूह बी) सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 यानी अनुलग्नक में आक्षेपित संशोधन को रद्द करते हुए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट जारी की जा सकती है

पी-19 और पी-19ए क्रमश:, 'चार साल के अनुभव वाले शिक्षकों को एसटीईटी / एचटीईटी पैनल एड पास करने से छूट देते हैं और परिणामस्वरूप प्रतिवादी बोर्ड द्वारा जारी शुद्धिपत्र के कॉलम सी (i) दिनांक 03.07.2012 (अनुलग्नक पी -20);

(v) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।

(vi) याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं को दी जाए: "

(इसी तरह की प्रार्थनाएं अन्य रिट याचिकाओं में भी की जाती हैं)

याचिकाकर्ताओं की दलीलों को समझना आसान होगा, यदि हमारे पास विस्तृत पृष्ठभूमि तथ्य हैं जो बताते हैं कि जीएफटी को पहली बार में शामिल किया गया था और वे कैसे जारी हैं और मुकदमेबाजी की प्रकृति और इस न्यायालय के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर पारित आदेश भी हैं। इसलिए, हम इसे नीचे सेरियाटिम में रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ते हैं:

पिछले मुकदमों का इतिहास:

(8) 2005 में, यह गिर गया कि 11 और एक के राज्य में सरकारी शिक्षण संस्थानों में लगभग 13,000 शिक्षण कर्मचारियों की कमी थी। चूंकि इस कमी से राज्य द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा प्रदान करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए हरियाणा राज्य ने दिनांक 29-11-2005 के अनुदेशों द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लेक्चररों की रिक्तियों को भरने के निदेश जारी किए। जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों के स्वीकृत पदों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में शिक्षकों की कमी का आकलन करना था और लेक्चरर के संवर्ग में उन रिक्तियों को भरना था। (घ) सरकार ने स्वीकृत पदों के लिए जीएफटी को नियुक्त करके मास्टर और सी एंड वी शिक्षक को नियुक्त किया है। इन अनुदेशों के अनुसार, इन जीएफटी को संलग्न करने की शक्ति प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों/डीडीओ को प्रत्यायोजित की गई थी। यह भी प्रावधान किया गया था कि यदि रिक्तियों और कार्यभार के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता होती है तो प्रधानाचार्यों को इस मामले में सहायता दी जाएगी। प्रधानाध्यापक/डीडीओ संस्थान के मुख्य द्वार पर एक बोर्ड पर आवश्यकता प्रदर्शित करेंगे। इतना ही नहीं, यह भी प्रावधान किया गया था कि इन जीएफटी को एक ही गांव/कस्बे के एक विशेष स्कूल में लगाया जाएगा और यदि एक ही गांव/कस्बे के शिक्षक उपलब्ध हैं तो उसी ब्लॉक या उसी विशिष्ट से संबंधित उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। दिनांक 29.11.2005 के निर्देशों के सटीक प्रावधान नीचे दिए गए हैं: -

प्रक्रिया:

मैं। 'संस्थानों के प्रमुख रिक्तियों और कार्यभार के आधार पर अतिथि संकाय पर शिक्षकों को नियुक्त करेंगे।

द्वितीय। प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/डीडीओ द्वारा आवश्यकता का आकलन करने के लिए संस्थान के मुख्य द्वार पर लगाए गए बोर्ड पर आवश्यकता प्रदर्शित की जाएगी। प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के पद रिक्त होने वाले स्कूलों की सुविधा में, डीडीओ / बीईओ आवश्यकता का आकलन करेंगे और इसे प्रदर्शित करेंगे। बीईओ आवश्यकता का आकलन करेगा और उसे प्रदर्शित करेगा। बीईओ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की आवश्यकता का भी आकलन करेगा।

तृतीय. आवेदन केवल 31.03.2006 तक एक विशिष्ट अवधि के लिए अतिथि संकाय के रूप में संलग्न करने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

इन्ट्रावीनस। प्राप्त सभी आवेदनों पर प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/डीडीओ प्रक्रिया करेंगे। यदि प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/डीडीओ को उस शैक्षणिक सत्र के लिए रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो वह उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को वरीयता देगा। किसी विशेष स्कूल में अतिथि संकाय को नियुक्त करने के लिए पहली प्राथमिकता उसी गांव/शहर के उम्मीदवार को दी जानी चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों की योग्यता बनाई जाए। यदि आवश्यक है तो उसी गांव/शहर का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो उसी ब्लॉक के उम्मीदवारों की योग्यता बनाई जाएगी। गेस्ट फैकल्टी को नियुक्त करने के लिए दूसरी प्राथमिकता ब्लॉक से संबंधित उम्मीदवारों में से होनी चाहिए। तीसरी प्राथमिकता एक ही जिले के उम्मीदवारों की होनी चाहिए।

बहुत। जब कभी नियमित रूप से नियुक्त व्यक्ति को उस स्कूल में तैनात किया जाता है (चाहे नियमित सीधी भर्ती के बाद या पदोन्नति के बाद या समायोजन में बदलाव के बाद या स्थानांतरण के बाद), संस्था का आई-लीड उस श्रेणी के पद के अतिथि संकाय पर लगे हुए शिक्षकों की सेवाओं से वंचित हो जाएगा। यह नियुक्ति नहीं है, बल्कि निर्धारित दरों पर अवधि के आधार पर नौकरी के काम की पेशकश है। यह उन छात्रों की पढ़ाई का ध्यान रखने के लिए है जहां स्कूल में नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं।

दिनांक 29-11-2005 के उपर्युक्त अनुदेशों में, जैसा कि 16-12-2005 को संशोधित किया गया था, की तर्ज पर बड़ी संख्या में जीईटी लगाए गए थे। इन अनुदेशों के अनुसार जीईटी को केवल 31-3-2006 तक ही जारी रखा जाना था। जब यह तारीख समाप्त हो रही थी, तो उनके विघटन के डर से, बड़ी संख्या में ऐसे जीईटी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (सीडब्ल्यूपी-2743-2006, कलराज सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) के तहत रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय से संपर्क किया। इन जीईटी ने अनुरोध किया कि जब तक नियमित कर्मचारी सेवाओं में शामिल नहीं हो जाते, तब तक उन्हें जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने नियमित वेतनमान की भी मांग की। रिट याचिका को प्रतिवादी-राज्य द्वारा चुनौती दी गई थी और एक स्पष्ट उत्तर दायर किया गया था जिसमें यह प्रस्तुत किया गया था कि जीईटी के चयन/साक्षात्कार के लिए कोई मानदंड कभी तैयार नहीं किया गया था और जीईटी के चयन का क्षेत्र बहुत सीमित था और निश्चित पारिश्रमिक पर निश्चित अवधि के लिए पढ़ाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्रतिवादी-राज्य द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि इस वजह से, बड़ी संख्या में मेधावी उम्मीदवार, जो नियमित प्रक्रिया शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, ने आवेदन नहीं किया, क्योंकि इन जीईटी को केवल कुछ ब्लॉकों/क्षेत्रों से चुना गया था, बिना सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा के साथ प्रतिस्पर्धा किए। राज्य द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि यदि याचिकाकर्ताओं को पदों पर बने

रहने की अनुमति दी जाती है, तो संभवतः वे कुछ समय बाद नियमितीकरण का दावा करेंगे और मेधावी उम्मीदवारों के अधिकार का उल्लंघन होगा। सुनवाई के दौरान, विद्वान वकील ने अदालत को सूचित किया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पहले ही एक अनुरोध भेजा जा चुका है और उपरोक्त मांग को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 9000 रिक्तियों को भरा जाएगा। डिवीजन बेंच ने दिनांक 20-3-2006 के आदेशों के तहत रिट याचिका का निपटारा कर दिया और यह निर्देश दिया कि नियमित भर्ती होने तक जीईटी जारी रखें और यह भी पाया गया कि वे नियमित वेतनमान के हकदार नहीं हैं।

(9) हरियाणा राज्य, प्रारंभ में, नियमित भर्ती किए जाने तक इन जीईटी को जारी रखने के निर्देश देने वाले उपर्युक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं था। तदनुसार, इसने विशेष याचिका (एसएलपी) दायर करके दिनांक 20.3.2006 के आदेशों को चुनौती दी। तथापि, इन विशेष अनुमति पत्रों को दबाए न जाने के कारण दिनांक 10022012 को खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, जीईटी को जारी रखने और काम करने की अनुमति दी गई थी।

(10) वर्ष 2007 में, इन जीईटी द्वारा नियमित नियुक्तियों तक उन्हें जारी रखने की अनुमति देने का एक और प्रयास किया गया था और उन्होंने यह भी प्रार्थना की थी कि जीईटी को बंद न करने के निर्देश जारी किए जाएं। यह था बलदेव सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में किया गया (2007 की सीडब्ल्यूपी 387)। हरियाणा राज्य ने पुन इस याचिका का बहुत स्पष्ट रुख अपनाते हुए विरोध किया कि चूंकि इन जीएफटी की भर्ती विभिन्न स्कूलों/कॉलेजों में आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी, इसलिए उन्हें जारी रखने का कोई अधिकार नहीं था और यह राज्य के लिए खुला था कि वे बिना किसी सूचना के या कोई कारण बताए किसी भी समय उनकी सेवाओं को समाप्त कर सकते हैं। इस बात पर जोर दिया गया कि उनके नियुक्ति पत्रों में ऐसे निबंधन और शर्तें निर्धारित की गई थीं और खुली आंखों से वे इन निबंधनों और शर्तों को अपनी स्वतंत्र इच्छा और इच्छा से स्वीकार करते हुए सेवाओं में शामिल हुए थे और अब उनके लिए इसके विपरीत कोई आपत्ति उठाना अनुमेय नहीं था। उक्त निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

पीठ ने कहा, "पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद हमारा विचार है कि शिक्षकों को अतिथि संकाय शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की नीति राज्य सरकार द्वारा लाई गई थी ताकि छात्रों को निर्बाध शिक्षा प्रदान की जा सके। चूंकि शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है जिसमें शिक्षकों की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, इस्तीफे, पदोन्नति आदि के कारण व्याख्याताओं के पद रिक्त रहते हैं, इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, राज्य सरकार ने 1 शिक्षक को गेस्ट फैकल्टी के रूप में संलग्न करने का

निर्णय लिया। तदनुसार, प्रधानाचार्यों को 31-3-2007 तक की निर्धारित अवधि के लिए नियत पारिश्रमिक पर आवधिक आधार पर लेक्चररों की नियुक्ति करने का निदेश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने स्वयं अनुरोध किया कि उन्हें एक निश्चित पारिश्रमिक पर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए लगाया जाए और इसलिए अब वे यह दावा नहीं कर सकते कि नियमित नियुक्तियों तक उन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। नीति के अवलोकन से पता चलता है कि अतिथि संकाय शिक्षकों की नियुक्ति निर्धारित दरों पर अवधि के आधार पर एक कार्य कार्य था और इसलिए, कोई भी अतिथि संकाय शिक्षक उस अवधि से अधिक समय तक पद पर बने रहने का हकदार नहीं है जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है। याचिकाकर्ताओं को संबंधित कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा अतिथि संकाय शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो अन्यथा नियमों के तहत नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है।

उपरोक्त के अलावा, याचिकाकर्ता केवल कुछ पॉकेट क्षेत्रों से लगे हुए थे, यानी उनके गांव या ब्लॉक से और उन्होंने कभी भी उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की। आरक्षण

नीति का भी पालन नहीं किया गया। अनिवार्य रूप से याचिकाकर्ताओं को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था और दोनों पक्षों पर उस अनुबंध को उस अवधि से आगे जारी रखने का कोई दायित्व नहीं था जिसके लिए अतिथि संकाय शिक्षकों /

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी नियुक्ति की अवधि को सीमित करने की शर्त को रद्द करने का दावा किसी भी अवैधता या अनियमितता से ग्रस्त नहीं है जो इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। सचिव कर्नाटक एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य (2006) 4 एससीसी 1 के मामले में संवैधानिक पीठ के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य को कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संविदा आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति दी है। याचिकाकर्ता न तो उत्तरदाताओं पर खुद को थोप सकते हैं और न ही उन्हें उस अवधि से आगे जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए वे अतिथि संकाय शिक्षकों के रूप में लगे हुए थे। याचिकाकर्ताओं को नियमित नियुक्तियां होने तक जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अतिथि संकाय शिक्षकों को केवल मृत्यु, सेवानिवृत्ति, इस्तीफे, पदोन्नति आदि जैसी स्थितियों से निपटने के लिए नियुक्त किया जाता है।

उपरोक्त के मद्देनजर, हमें रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली और इसे खारिज किया जाता है।

(11) उपर्युक्त निर्णय, जिसमें हरियाणा राज्य द्वारा अपनाए गए रुख को स्वीकार किया गया था, के बावजूद आयुक्त और स्कूल शिक्षा निदेशालय ने दिनांक 2-12-2008 को पत्र जारी किया जिसमें विस्थापित अतिथि शिक्षकों के अस्थायी समायोजन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे। (ग) नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के संबंध में नियमित पदधारियों के आने के कारण उनके विस्थापन के बाद पुनर्विचार करने का आदेश दिया गया था। यहां याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अब से सरकार द्वारा याचिकाकर्ताओं जैसे किसी भी बेरोजगार युवा को रोजगार का कोई और अवसर दिए बिना शिक्षा विभाग के भीतर इन जीएफटी को समायोजित करने के लिए एक जानबूझकर प्रयास किया गया था।

(12) तत्पश्चात् प्रतिवादियों ने दिनांक 2-3-2009 को अनुदेश जारी किए जिनके तहत इन जीएफटी की निबंधन एवं शर्तों को संविदागत कर्मचारियों के रूप में बदलने का आदेश दिया गया था, वह भी एक वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन आधार पर उनकी पूर्व नियुक्ति के बावजूद। इतना ही नहीं यह एक आईएसओ फैसला था

जीएफटी को एसटीईटी पास करने से छूट दी जाएगी और ऊपरी आयु सीमा के लिए आयु में छूट भी दी जाएगी। इन सबसे ऊपर, उन्हें इस गिनती पर 24 अंक देकर जीएफटी होने के लिए अतिरिक्त वेटेज भी प्रदान किया जाना था। दिनांक 2-3-2009 को इन अनुदेशों के जारी होने से मुकदमेबाजी का एक और दौर शुरू हुआ। अशोक कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य शीर्षक वाले प्रमुख मामले सीडब्ल्यूपी-13045-2009 के साथ रिट याचिकाओं का एक बैच दायर किया गया। इसकी परिणति दिनांक 6-4-2010 के निर्णय में हुई जिसमें इन जीएफटी के संबंध में हरियाणा राज्य के रवैये में नरमी पर तीखी टिप्पणियां करते हुए, दिनांक 2-3-2009 के पत्र में राज्य द्वारा दी गई उपर्युक्त छूट को कानून की दृष्टि से गलत माना गया था, यह टिप्पणी करते हुए कि राज्य के लिए एसटीईटी की शर्त में ढील देने या जीएफटी के रूप में उनके द्वारा प्राप्त अनुभव के लिए 24 अंकों तक का कोई वेटेज देने का कोई अवसर नहीं था। इस प्रक्रिया में, न्यायालय ने कहा:

1. 1. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को पढ़ने से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि अतिथि संकाय शिक्षकों का प्रवेश नियमित चयन प्रक्रिया से वंचित था। यह कुछ उम्मीदवारों तक सीमित था। सभी योग्य उम्मीदवारों को उन पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं थी। सेवा की प्रकृति संविदात्मक थी। हालांकि, उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों को जानने के बावजूद, अतिथि संकाय शिक्षकों ने हरियाणा राज्य को परिहार्य मुकदमेबाजी में घसीटा और

उनकी कार्रवाई के कारण, नियमित शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया में भी देरी हुई। यदि इस स्तर पर, आयु में छूट, एसटीईटी उत्तीर्ण करने से छूट और अतिथि संकाय शिक्षकों के रूप में प्राप्त अनुभव के लिए 24 अंकों तक का वेटेज उन्हें दिया जाता है, तो यह उन्हीं अभ्यथयों को नियमित सेवा में नियुक्त करने के समान होगा, जिन्होंने पहली बार में चयन प्रक्रिया के माध्यम से इसमें प्रवेश किया जो नियमित नहीं थी और सभी के लिए खुली थी। जाहिर है, इसका मतलब अन्य अधिक योग्य उम्मीदवारों के साथ गंभीर भेदभाव होगा। अधिकांश अतिथि संकाय शिक्षकों को दो साल से अधिक की सेवा का श्रेय प्राप्त होता है, उन्हें चयन के समय 24 अंक प्राप्त करना सुनिश्चित होता है और उस प्रक्रिया से वे उन अन्य लोगों को बाहर करने के लिए बाध्य होते हैं जो सेवा में प्रवेश करने वाले अधिक मेधावी हॉर्न हैं। हजारों आवेदकों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्र में मानदंडों के अनुसार अतिथि संकाय शिक्षकों सहित सभी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों में 24 अंक देने से गैर-अतिथि संकाय उम्मीदवारों को लगभग खारिज कर दिया जाएगा। यह वस्तुतः सेवा में अतिथि संकाय शिक्षकों के नियमितीकरण के बराबर है, जो

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उमा देवी की आसानी (सुप्रा) में पदावनत और निषिद्ध किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि जिन व्यक्तियों ने नियमित प्रक्रिया का पालन किए बिना रोजगार प्राप्त किया और कभी-कभी पिछले दरवाजे से प्रवेश करते हैं, वे सेवा में जेल स्थायित्व के हकदार नहीं हैं।

xxx xxx xxx xxx xxx

34. वर्तमान स्थिति में, यदि आयु में छूट के अलावा, एसटीईटी पास करने से छूट और अतिथि संकाय शिक्षकों के रूप में प्राप्त अनुभव के लिए 24 अंकों तक का वेटेज मरने वाले अतिथि संकाय शिक्षकों को दिया जाता है, तो यह वस्तुतः सेवा में उनके नियमितीकरण के बराबर होगा, वह भी चयन के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उमा देवी की सहजता (सुप्रा) में की गई घोषणा के विपरीत।

xxx xxx xxx xxx xxx

40. "यह न्यायालय आगे का विचार है कि राज्य के लिए एसटीईटी पास करने की शर्तों में ढील देने का कोई अवसर नहीं है, जैसा कि अतिथि संकाय शिक्षकों की आसानी में किया गया है। वर्ष 2008 में संशोधन कर उक्त योग्यता को नियमों में शामिल किया गया था। अतिथि संकाय शिक्षकों को छोड़कर अन्य सभी उम्मीदवारों को उस परीक्षा को पास करना आवश्यक है, अन्यथा, वे विचाराधीन पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के पात्र नहीं हैं। यदि एसटीईटी आर्क पास किए बिना अतिथि संकाय शिक्षकों को सेवा

में लिया जाता है, तो यह योग्यता में कम उम्मीदवारों को लाभ देने के समान होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं और यदि नींव कमजोर होती है, तो यह उम्मीद नहीं की जाती है कि राष्ट्र सही दिशा में प्रगति करेगा। इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि वर्ष 2008 में नियमों में योग्यता के रूप में शामिल किए जाने की तारीख के बाद अतिथि संकाय शिक्षक परीक्षा क्यों नहीं उत्तीर्ण कर सकते थे और क्यों नहीं उत्तीर्ण कर सकते थे।

उपर्युक्त निर्णय दिनांक 2-3-2009 के अनुदेशों के तहत जीएफटी को दी गई छूट के प्रावधानों को रद्द करने के कारणों को पर्याप्त रूप से दर्शाता है, जो निम्नानुसार हैं: -

(क) इन जीएफटी को नियमित चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्ति दी गई थी, अर्थात, उन्हें नियुक्ति देते समय कोई नियमित चयन प्रक्रिया नहीं की गई थी;

(ख) न तो सभी पात्र उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई थी और न ही सभी योग्य उम्मीदवारों पर विचार किया गया था। यह कुछ उम्मीदवारों तक सीमित था;

(ग) नियुक्ति की प्रकृति संविदात्मक थी और उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती हैं कि यह उन्हें कोई अधिकार नहीं देगा। यह भी स्पष्ट किया गया था कि यह नियमित शिक्षकों के चयन के लंबित रहने तक एक अस्थायी व्यवस्था थी;

(घ) आयु में छूट, एसटीईटी पास करने से छूट और अतिथि संकाय के रूप में प्राप्त अनुभव के लिए 24 अंक देने वाले ऐसे कोई भी निर्देश इन जीईटी को बैक-डोर प्रवेश प्रदान करने के समान हैं। इसका मतलब एक भयंकर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में अन्य अधिक योग्य उम्मीदवारों के लिए एक गंभीर भेदभाव होगा जिसमें इनमें से हजारों जीएफ वस्तुतः गैर-अतिथि संकाय उम्मीदवारों को खारिज कर देंगे, अन्यथा एसटीईटी पास करने की शर्त को शिथिल करने का कोई अवसर नहीं था, जो 2008 में शामिल आवश्यक योग्यता थी और वास्तविक कारणों से आराम किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कोई कारण सामने नहीं आया;

(13) पारित होने में, डिवीजन बेंच ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी कीं: -

(14) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि एसटीईटी पास करने से छूट और अतिथि संकाय शिक्षकों को अनुभव के लिए 24 अंकों तक का वेटेज उचित नहीं है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के विपरीत है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने झारखंड राज्य और अन्य बनाम बिजय कुमार और अन्य, एआईआर 2008 उच्चतम न्यायालय 1446 में इसी तरह के विवाद से निपटने के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत परिकल्पित समानता की संवैधानिक गारंटी

की रक्षा की जानी चाहिए। कोई न कोई आदेश पारित करते समय हमें उन लोगों के हितों को नहीं भूलना चाहिए जो हमारे सामने नहीं हैं, नागरिकों को विकास का मानव अधिकार है और ऐसे पदों पर नियुक्ति की पेशकश केवल योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए।

(44) प्रत्येक गुजरते वर्ष के साथ सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में अधिक उम्मीदवार हैं। हजारों उम्मीदवारों ने तारीख के बाद समान या उच्च योग्यता हासिल की हो सकती है, जब अतिथि संकाय

वर्ष 2005-2006 में शिक्षकों को सेवा में लिया गया था। जो लोग अब पात्र हो सकते हैं, उनके सफल होने की संभावना नहीं है, यदि एसटीईटी उत्तीर्ण करने से छूट और अतिथि संकाय शिक्षकों के पक्ष में अनुभव के लिए 24 अंकों तक का पुरस्कार दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत परिकल्पित सार्वजनिक सेवा में समान अवसर की संवैधानिक गारंटी की रक्षा की जानी चाहिए। सभी आवेदकों को चयन के लिए विचार किए जाने का समान अधिकार है और पदों को केवल मेधावी उम्मीदवारों का चयन करके भरा जाना चाहिए।

(14) हरियाणा राज्य ने इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय को स्वीकार कर लिया। हालांकि, इससे प्रभावित जीएफटी ने मोहिंदर कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य शीर्षक से 2010 की एसएलपी संख्या 24882 के साथ शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन में निम्नलिखित कारणों से खारिज कर दिया था:

"यह विवाद में नहीं है कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यक योग्यताएं 24.7.2008 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित नियमों की आवश्यकता के अनुरूप थीं। दूसरे शब्दों में, योग्य स्कूल शिक्षक की पात्रता होने का प्रमाण पत्र आवश्यक योग्यता का एक अभिन्न अंग था। नियमों के नियम 17 में राज्य सरकार को किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में नियमों के किसी भी प्रावधान में ढील देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन उस नियम के तहत शक्ति का प्रयोग इस शर्त के साथ किया जाता है कि छूट देते समय, राज्य सरकार को ऐसा करने के कारणों को दर्ज करना होगा। उच्च न्यायालय के समक्ष, राज्य सरकार ने यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि उसने नियम 17 के अधीन शक्ति का प्रयोग किया था और अतिथि संकाय के रूप में नियुक्त शिक्षकों को योग्य एसटीईटी होने की आवश्यकता से छूट प्रदान करने के लिए एक तर्कसंगत आदेश पारित किया था। उच्च न्यायालय का यह विचार सही था कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में शुद्धिपत्र जारी करके नियमों के तहत निर्धारित आवश्यक योग्यता में ढील नहीं दी जा सकती थी।

श्री पी.पी. राव, विद्वान वरिष्ठ वकील ने केवी राजलक्ष्मी शेट्टी और एक अन्य बनाम मैसूर के स्लेट और अन्य (1967) 2 एससीआर 70 में निर्णय पर भरोसा किया ताकि यह दिखाया जा सके कि एक बार तदर्थ रियायत

शिक्षकों को दिए गए अनुदान को वैध माना जा सकता है और सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं होता है।

हमने फैसले का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, लेकिन वैधता का कोई प्रस्ताव नहीं मिलता है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित योग्यता को आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में शुद्धिपत्र जारी करके आराम दिया जा सकता है। जहां तक अतिरिक्त अंकों के वेटेज के अनुदान का संबंध है, हम उच्च न्यायालय के साथ पूरी तरह सहमत हैं कि यह अतिथि संकाय शिक्षकों के नियमितीकरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा अपनाई गई एक अप्रत्यक्ष पद्धति थी जो पहले उच्च न्यायालय को राज्य सरकार को उनकी सेवा के नियमितीकरण के लिए एक नीति बनाने के लिए परमादेश जारी करने के लिए मनाने में विफल रहे थे।

परिणाम में, विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी गई।

(15) जबकि उपर्युक्त घटनाएं साथ-साथ हो रही थीं, हरियाणा राज्य की कार्रवाई को रद्द करने के लिए एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी जिसके द्वारा जीएफटी का कार्यकाल एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। उक्त जनहित याचिका में हरियाणा सरकार को संविधान योजना में प्रदान की गई प्रक्रिया के माध्यम से शोधकर्ताओं/व्याख्याताओं के रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, जो तिलक राज बनाम हरियाणा राज्य शीर्षक वाली सीडब्ल्यूपी-6090-2010 की विषय वस्तु थी। इस रिट याचिका का दिनांक 30.3.2011 के निर्णय के तहत निपटारा किया गया था, जिसमें शिक्षा की आवश्यकता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत नागरिकों के एक बड़े वर्ग के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई थीं और आगे यह भी देखा गया था कि न्यायालय जीएच ने जिस तरह से सेवा में प्रवेश किया है और वे कैसे जारी रहे हैं और कैसे जारी रहे हैं बड़ी संख्या में पात्र उम्मीदवार अभी भी नियमित नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अंतत विशिष्ट टिप्पणी के साथ जीएफटी के कार्यकाल को 31032012 तक बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे कि उक्त तारीख की समाप्ति पर जीएफटी की सेवाएं समाप्त हो गई हैं और राज्य के लिए ऐसी किसी भी जीएफटी को सेवा में जारी रखने का विकल्प नहीं होगा। तथापि, नौ महीने के बाद अर्थात् दिनांक 16-12-2011 को राज्य द्वारा एक आवेदन दायर

किया गया था जिसमें दिनांक 30-03-2011 के आदेश के अनुपालन के लिए इस न्यायालय द्वारा दिए गए समय को बढ़ाने की मांग की गई थी। इस आवेदन में दिनांक 15.3.2012 के आदेश

अन्य बातों के साथ-साथ यह देखते हुए कि राज्य विस्तार के लिए कोई न्यायसंगत मामला बनाने में विफल रहा है और किसी भी आसानी से, अतिरिक्त प्रयास करके नियमित शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में अंतिम रूप दिया जाना था, क्योंकि विस्तार का खेल लंबे समय में किसी के कारण की पूर्ति नहीं करता है।

(16) इस आदेश के विरुद्ध समय बढ़ाने से इंकार करते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी जिस पर दिनांक 30032012 को निर्णय दिया गया था जिसमें यह निदेश दिया गया था कि दिनांक 01042012 से जीएफटी की कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी और चयन की प्रक्रिया को पूरा करने की प्रक्रिया योजना में विनिदष्ट समय के भीतर पूरी की जानी चाहिए और यह भी देखा गया कि इसमें आगे विस्तार अथवा विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंत में, यह भी देखा गया कि नियमित आधार पर शिक्षकों की भर्ती को जीएफटी की नियुक्ति की इस प्रक्रिया द्वारा पूरक या प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा। सुविधा के लिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई प्रासंगिक टिप्पणियां निम्नानुसार हैं: -

(17) पक्षकारों के लिए भारत के विद्वान महान्यायवादी, श्री सुब्रमण्यम और श्री विश्वनाथन, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुनने के बाद और श्री विश्वनाथन द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखते हुए, कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का इरादा यह था कि 1 अप्रैल, 2012 के बाद 'अतिथि शिक्षकों' की कोई और नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए, और यह कि रिक्तियों को एसएलपी (सी) की पोस्टिंग और पुन: पोस्टिंग द्वारा भरा जाना चाहिए। . विभिन्न संस्थानों में सीसी 5956-5957/12 आदि के मामले में, हमें लगता है कि श्री विश्वनाथन द्वारा व्यक्त की गई आशंका के बावजूद दोनों चीजों को वास्तव में अलग रखा जाना चाहिए, कि यह अदालत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति जारी रखने की ओर ले जाती है।

(8) हम यह बहुत स्पष्ट करते हैं कि जैसा कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा निर्देशित किया गया है, अतिथि शिक्षकों की कोई नई नियुक्ति 1 अप्रैल, 20121 से नहीं की जाएगी। योजना में निर्दिष्ट समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और आगे कोई विस्तार या विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(9) तब तक, अतिथि शिक्षकों को कार्य करना जारी रखने की अनुमति दी जाए, जैसा कि वे अब तक करते रहे हैं।

(10) हम एक बार फिर दोहराते हैं कि नियमित आधार पर शिक्षकों की भर्ती सुविधा के लिए 'अतिथि शिक्षकों' की नियुक्ति की इस प्रक्रिया से पूरक या प्रतिस्थापित नहीं की जाएगी।

आक्षेपित प्रावधान:

(17) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसके बाद राज्य ने 2012 के नियम प्रख्यापित किए और उक्त नियमों में पहला संशोधन और दूसरा संशोधन भी किया। 2012 के नियमों के अनुसार, पीजीटी शिक्षक के लिए आवश्यक योग्यता 11 एड के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर है और एसटीईटी / एचटीईटी भी उत्तीर्ण है। फिर भी। इन्हीं नियमों में, उपर्युक्त बुनियादी आवश्यक योग्यताओं को बताते हुए, परिशिष्ट-बी के अंत में एक नोट दिया गया है जिसके द्वारा उन शिक्षकों ने इन नियमों के लागू होने की तारीख यानी 11.4.2012 को न्यूनतम चार साल की अवधि तक काम किया है। उन्हें एक बार के उपाय के रूप में एसटीईटी पास करने की योग्यता को इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई है कि उन्हें 01 अप्रैल, 2015 तक एचटीईटी अर्हता प्राप्त करनी होगी। 'उपरोक्त नोट के साथ पीजीटी के लिए यह पात्रता शर्त निम्नानुसार है:

"परिशिष्ट-बी"

पीजीटी अंग्रेजी:

(मैं) कम से कम 50% अंकों के साथ एमए अंग्रेजी और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड। और

(द्वितीय) हिंदी/संस्कृत के साथ मैट्रिक या एक विषय के रूप में हिंदी के साथ 101 2/बीए/एमए, और

(iii) हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी)/स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

(चतुर्थ) लगातार अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड।

नोट: (i) विभिन्न भर्ती के मामले में, निजी रूप से प्रबंधित सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त और सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों को कॉलम नंबर 1 में वर्णित एचटीईटी उत्तीर्ण करने की योग्यता प्राप्त करने से छूट दी गई है, यदि उन्होंने इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख को कम से कम चार साल की अवधि के लिए शिक्षक के रूप में काम किया है। तथापि, उक्त छूट एक बार के उपाय के रूप में है और उक्त श्रेणी के शिक्षकों को उनकी नियुक्ति पर 11टीईटी अर्हता प्राप्त करनी होगी और 1 अप्रैल, 201

तक अर्हता प्राप्त करनी होगी; अन्यथा उनकी नियुक्ति बिना कोई और नोटिस दिए स्वतः समाप्त हो जाएगी।

(द्वितीय) एक व्यक्ति जिसने इन नियमों की अधिसूचना से पहले बीएड की योग्यता के बिना एसटी 1: टी / 1 एफएफईटी पारित किया है, उसे सीधी भर्ती में पीजीटी के पद के लिए पात्र माना जाएगा।

(iii) सीधी भर्ती के मामले में, लगातार अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड का मतलब है कि अपेक्षित न्यूनतम योग्यता की तुलना में कम योग्यता यानी मैट्रिक / 10-12 / स्नातक में से, दो निचली परीक्षाओं में कम से कम 50% और तीसरी निचली परीक्षा में 45% सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है। यदि केवल दो कम परीक्षाएं हैं, तो एक परीक्षा में कम से कम 50% और दूसरे में 45% सुरक्षित होना चाहिए।

(चतुर्थ) हरियाणा शिक्षा विभाग के अलावा किसी भी राज्य बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को केवल तभी मान्यता दी जाएगी जब यह डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

(v) अनुसूचित जाति (एससी) के उम्मीदवारों को योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।

इस आधार पर दिनांक 06062012 को विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षकों के लगभग 14,000 पदों को विज्ञापित किया गया है। उपर्युक्त विज्ञापन जारी करने के बाद दिनांक 2.7.2012 को एक अधिसूचना पुनः जारी की गई जिसमें नियम 19-ए के तहत एक संक्रमणकालीन प्रावधान अंतस्थापित करके 2012 के नियमों में संशोधन किया गया जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि जो उम्मीदवार 1998 के नियमों के तहत अर्हता प्राप्त करते हैं, वे भी एक बार के उपाय के रूप में भर्ती के लिए पात्र होंगे और उन्हें 1.4.2015 तक एचटीईटी और बीएड अर्हता प्राप्त करनी होगी और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं। नियुक्तियां स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगी, आगे। 2012 के नियमों के परिशिष्ट 'बी' के नोट (i) को यह कहकर भी प्रतिस्थापित किया जाता है कि रील भर्ती में आसानी से, निजी तौर पर प्रबंधित सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त में काम करने वाले शिक्षकों! एसटीईटी और बीएड की योग्यता रखने वाले सरकारी स्कूलों को छूट दी गई है यदि उन्होंने इन नियमों के लागू होने की तारीख को शिक्षक के रूप में न्यूनतम 4 वर्ष की अवधि के लिए काम किया है। नोट (i) में सटीक संशोधन निम्नानुसार है: -

"3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, नोट (i) के लिए निम्नलिखित नोट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1) सीधी भर्ती के मामले में, निजी तौर पर प्रबंधित सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों को हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा या स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा और बीएड की योग्यता रखने से छूट दी गई है, जैसा कि कॉलम 3 में वर्णित है। यदि उन्होंने इन नियमों के प्रवर्तन के लिए कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए शिक्षक के रूप में कार्य किया है। ऐसे शिक्षकों के लिए, जिनके पास चार साल का शिक्षण अनुभव है और इनमें निश्चित रूप से ये जीएफटी शामिल हैं। एसटीईटी/एचटीईटी पास करने के साथ-साथ बीएड की योग्यता में एक बार की छूट एक बार के उपाय के रूप में दी जाती है। 'मेरा झूठ प्रभाव यह है कि ये जीएफटी या अन्य शिक्षक, जिनके पास एचटीईटी प्रमाणपत्र या बीएड प्रमाणपत्र नहीं हैं, इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की तरह अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हैं।

चुनौती:

(मैं) याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ये संशोधन जानबूझकर जीएफटी को नियमित नियुक्ति देकर समायोजित करने के एकमात्र उद्देश्य से किए गए हैं। संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि हालांकि शुरुआत में सरकार इन जीएफटी के दावे का विरोध कर रही थी। लेकिन 2008 के बाद मन परिवर्तन हुआ और राज्य की ओर से बार-बार प्रयास किए गए हैं कि ये जीएफटी किसी तरह जारी रहें और उन्हें नियमित आधार पर नियुक्ति दी जाए। हालांकि, जब इस तरह की मांगें न्यायिक जांच के अवसर पर विफल हो गईं, तो इस न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जनादेश से बाहर निकलने के लिए, सरकार इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक शर्तों को माफ करते हुए छूट के खंड लेकर आई है। परिणामस्वरूप, ये जीएफटी, जो अन्यथा पीजीटी के पदों पर विचार करने के लिए पात्र नहीं हैं, पर अब विचार किया जाएगा और उन्हें याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास अपेक्षित योग्यता है और योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की आशंका है कि यह सब सिर्फ इन जीएफटी को नियुक्ति देकर पक्ष लेने के लिए किया गया है। यह लाभ निजी रूप से प्रबंधित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों को भी दिया जाता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह केवल यह दिखाने के लिए विश्वास है कि यह छूट एक समान छूट है और केवल गेस्ट फैकल्टी के लिए नहीं, बल्कि सभी में शिक्षण संकाय के लाभ के लिए है। अन्यथा याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया, पूरा इरादा अशोक कुमार की आसानी (सुप्रा) में इस न्यायालय के मूल जनादेश को दरकिनार करना है और मोहिंदर

कुमार की आसानी (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के मूल जनादेश को दरकिनार करना है, जिससे इस प्रकार की छूट मनमानी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है।

(द्वितीय) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अनुपम गुप्ता ने निम्नलिखित तरीके से उपरोक्त प्रस्तुतियों का उदाहरण देते हुए हमले का नेतृत्व किया:

(i) पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने जो स्पष्ट रूप से अपना आचरण किया है, वह स्पष्ट रूप से सरकार के इरादे का उदाहरण है, अर्थात्, किसी तरह इन जीएफटी की मदद करना:

(iii) सरकार का यह इरादा ऑनलाइन आवेदन पत्र से भी बहुत स्पष्ट है जिसमें एक विशिष्ट कॉलम प्रदान किया गया है जिसमें पूछा गया है कि उम्मीदवार हरियाणा राज्य में अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहा है या नहीं।

"क्या आप हरियाणा में गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं"

(चतुर्थ) 'यह छूट प्रदान करके, प्रतिवादी विभाग/सरकार ने समान और असमान के साथ समान व्यवहार किया है जो कानून के किसी भी आने से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्गीकरण की किसी भी मिट्टी का अंतिम उद्देश्य के साथ कुछ संबंध होना चाहिए जिसे प्राप्त करने की मांग की जानी चाहिए जबकि वर्तमान आसानी से, प्रतिवादी विभाग/सरकार का एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह से इन जीएफटी को किसी भी प्रकार की छूट/छूट प्रदान करके समायोजित करना/चयन करना है;

(v) श्री गुप्ता ने छूट प्रदान करने के लिए चार साल की अवधि में भी परोक्ष मकसद पाया1 और किसी अन्य अवधि के लिए नहीं। इस संबंध में, तर्क यह है कि पहली बार, जीएफटी को वर्ष 2005 में नियुक्त किया गया था और जीएफटी को शामिल करने की यह प्रक्रिया वर्ष 2008 तक जारी रखी गई थी। जीएफटी की अंतिम नियुक्ति वर्ष 2008 में की गई थी। यही कारण है कि प्रतिवादी-राज्य द्वारा चार वर्षों का जादुई अंक दिया जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमा देवी और अन्य (1), सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना है कि जिन व्यक्तियों को चयन की अनियमित प्रक्रिया (अवैध नहीं) द्वारा नियुक्त किया गया है और जो पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई एक बार की नीति द्वारा नियमित किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से, हरियाणा सरकार उमा देवी की सहजता (सुप्रा) में दिए गए जनादेश को जीएफटी पर लागू नहीं कर सकती है क्योंकि इस न्यायालय में उनका अपना स्पष्ट रुख है कि ये नियुक्तियां स्टॉप गैप व्यवस्था हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के सटीक इरादे का पालन किए बिना और यही कारण है कि प्रतिवादी

विभाग/सरकार इस प्रकार की छूट प्रदान करके इन जीईटी को लाभान्वित करने की कोशिश कर रही है, वह भी आवेदन में एक विशिष्ट उल्लेख करके और जीटी से विशिष्ट जानकारी मांगकर उनकी स्थिति के बारे में है। सरकार की मंशा पारदर्शी चयन करने की होती, छूट प्रदान करके आवेदन में प्रश्न निजी रूप से प्रबंधित सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों की स्थिति के बारे में होना चाहिए था। यहां, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जीईटी केवल सरकारी स्कूलों में हैं। इसलिए, सरकार की मंशा को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने 11.4.2012 के 2012 के नियमों के नोट (i) में ये छूट प्रदान की है;

(vi) गुप्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरटी 1 के तहत प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, हजारों उम्मीदवारों ने विभिन्न विषयों में एसटीईटी / आई।टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की है और उनके चयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार, जब पीजीटी के पद के लिए आवेदन करने वाले पात्र उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या बाजार में उपलब्ध है, तो जीएलटी सहित ऐसे शिक्षकों को छूट देने और इन अपात्र उम्मीदवारों को समायोजित करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है जो तर्कहीन, अताकक, मनमाना भी है और इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह नोट (i) परिशिष्ट-ख में और आगे संशोधन में बीएड की छूट देता है। साथ ही, शक्ति के रंगीन अभ्यास के रूप में भी चुनौती दी गई थी;

श्री केएस डडवाल, रिट याचिकाकर्ता (सीडब्ल्यूपी-25476- 2012 में) के विद्वान वकील ने इसके अलावा, निम्नलिखित तर्क दिए:

(सातवीं) जीएफटी और ऐसे अन्य शिक्षकों को छूट देने और उन्हें पात्र बनाने के परिणामस्वरूप, कुल उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या के कारण शॉर्ट-लिस्टिंग हुई थी। यह शॉर्ट-लिस्टिंग 4 विषयों में की गई थी, जबकि, विज्ञापन 14 विषयों से संबंधित था। यद्यपि नियमों के अनुसार एमए में 50% अंकों की आवश्यकता है, लेकिन शॉर्ट-लिस्टिंग के कारण, इस बार को और अधिक बढ़ा दिया गया था। 'इसका प्रभाव यह हुआ कि याचिकाकर्ताओं में से कई योग्य उम्मीदवारों को विचार से बाहर रखा गया। यह तर्क दिया गया था कि यदि कोई छूट नहीं दी गई होती, तो इनमें से अधिकांश उम्मीदवार पात्र होते क्योंकि ऐसी स्थिति में शॉर्ट-लिस्टिंग का कोई अवसर नहीं होता। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि चार विषयों में शॉर्ट-लिस्टिंग इस कारण से थी कि लगभग सभी जीईटी इन चार विषयों से संबंधित हैं और इस प्रकार, यह उनकी मदद करने के इरादे से किया गया था। इसका प्रभाव यह था कि कई योग्य उम्मीदवार विचार से बाहर थे, जबकि, जीएफएल जैसे अयोग्य उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा था;

(आठवीं) विद्वान वकील ने एनसीटीई नियमों के नियम 5 पर ध्यान आकर्षित किया, जो निम्नानुसार है:

आरटीई अधिनियम की उप-धारा (1) ओई धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने 23 अगस्त, 2010 और 29 जुलाई को अधिसूचना के माध्यम से किया था। वर्ष 2011 में किसी व्यक्ति के लिए कक्षा 1 से VII I में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि आरटीई अधिनियम की धारा 2 के किसी भी स्कूल से संबंधित खंड (एन) में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक यह है कि उसे टीईसीआर पात्रता (टीईटी) पास करना चाहिए जो एनसीटीई द्वारा तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित किया जाएगा।

अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता के रूप में टीईटी को शामिल करने का औचित्य निम्नानुसार है -

मैं। यह भर्ती प्रक्रिया में राष्ट्रीय मानकों और शिक्षक गुणवत्ता के बेंचमार्क लाएगा:

द्वितीय। यह शिक्षक शिक्षा संस्थानों और इन संस्थानों के छात्रों को उनके प्रदर्शन मानकों में और सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा;

तृतीय. इससे सभी स्टेकहोल्डरों को सकारात्मक संकेत जाएगा कि सरकार शिक्षकों की गुणवत्ता पर विशेष बल देती है।

इस नियम के अनुसार, यदि कोई छूट दी जाती है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा दी जा सकती है। उस आधार पर, यह तर्क देने की मांग की गई थी कि राज्य के पास ऐसे नियम बनाने और एनओटीएच को दरकिनार करके स्वयं छूट प्रदान करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और इसलिए, इस तरह की कार्रवाई राज्य सरकार की शक्तियों के साथ-साथ अधिकारातीत थी।

(20) श्री जगबीर मलिक, वकील, कुछ याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित हुए, ने अतिरिक्त तर्क दिए:

(viii) एसटीआई एसटीआई परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट देकर उसे कोई महत्व नहीं दिया जाता है जो एसटीईटी को अनिवार्य अपेक्षा के रूप में शामिल करने की संपूर्ण योजना के विपरीत है। उन्होंने एसटीईटी

को सीबीएसई द्वारा जारी आवश्यक योग्यता के रूप में पारित करने के पीछे तर्क पर निम्नलिखित शब्दों में जोर दिया:

इस प्रकार, श्री मलिक ने तर्क दिया कि एसटीईटी परीक्षा से जुड़े महत्व को देखते हुए, इस प्रावधान में छूट नहीं दी जा सकती थी।

(21) उपरोक्त तर्कों का श्री राणा, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा और श्री चतरथ, विद्वान वरिष्ठ वकील, जो 2012 के एलपीए संख्या 1715 में अपीलकर्ता के लिए उपस्थित हुए थे, ने अपने आदेश में सभी प्रबलता के साथ अपने स्वयं के परिवर्धन किए, उन परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जिनके तहत जीएफटी नियुक्त किए गए थे, 11 सी ने आसानी से कानून की अधिकता की सहायता से एक उत्कट अपील की कि नियमों में ऐसा प्रावधान किया गया है नोट के रूप में और साथ ही विज्ञापन दस्तावेजों में किसी भी अवैधता या अनुचित से ग्रस्त नहीं है। हम यहां इन सबमिशन पर विस्तार से ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके बजाय हम अपने निष्कर्ष के समर्थन में अपने कारण देते हुए उसी का उल्लेख करेंगे।

निर्णय:

(22) पक्षकारों के लिए विद्वान वकीलों के तर्कों पर उचित विचार करने के बाद हमारा निष्कर्ष यह है कि नियम की वैधता पर हमला किसी भी योग्यता से रहित है और कानूनी सिद्धांतों की कसौटी पर जांच करने पर कुंद हो जाता है। नियमों में कोई दोष नहीं है और नियम, 2012 के परिशिष्ट बी में नोट (i) में चार साल के अनुभव वाले शिक्षकों को एसटीईटी/एचटीईटी और बीएड पास करने से छूट देना एक बार के उपाय के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है या किसी अन्य अवैधता से ग्रस्त है।

समर्थन में कारण:

(23) प्रारंभ में, हम यह टिप्पणी करना चाहेंगे कि यह छूट एक बार के उपाय के रूप में प्रदान की जाती है, केवल चार साल के अनुभव वाले शिक्षकों को एसटीईटी / एचटीईटी और बीएड पास करने से नियुक्ति के लिए उनकी आसानी पर विचार करते हुए। इसके अलावा, ऐसा नहीं है कि एसटीईटी/एचटीईटी और बीएड पास करने की आवश्यकता को आने वाले समय के लिए माफ कर दिया गया है। दी गई छूट में, यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए चुने गए शिक्षकों को 1.4.2015 तक एसटीईटी / ऐसा न करने पर उनकी नियुक्ति बिना कोई और नोटिस दिए स्वतः समाप्त हो जाएगी।

(24) नियमों में निहित उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर दिनांक 06062012 को विज्ञापन जारी किया गया था जिसके तहत विभिन्न विषयों में पीजीटी शिक्षकों के लगभग 14,000 पदों को विज्ञापित किया

गया है। उपर्युक्त विज्ञापन जारी होने के बाद दिनांक 272012 को पुन एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसके द्वारा नियम 19-क के अंतर्गत संक्रमणकालीन उपबंध अंतस्थापित करके 2012 के नियमों में संशोधन किया गया था जिसके द्वारा यह उपबंध किया गया है कि जो उम्मीदवार 1998 की नियमावली के तहत अर्हता प्राप्त करते हैं, वे भी एकबारगी उपाय के रूप में भर्ती के लिए पात्र होंगे और यदि वे ऐसा करने में असफल रहते हैं तो उन्हें 142015 तक एच टी ई टी टी अर्हता प्राप्त करनी होगी। नियुक्तियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी, इसके अलावा, टिप्पणी (i) o (2012 के नियमों के 'परिशिष्ट 'बी' को यह कहते हुए प्रतिस्थापित किया गया है कि सीधी भर्ती में निजी रूप से प्रबंधित सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों को 1 आईटीईटी / एसटीईटी और बीएड की योग्यता रखने से छूट दी गई है, यदि उन्होंने इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख को शिक्षक के रूप में न्यूनतम 4 वर्ष की अवधि के लिए काम किया है।

(25) कुछ गलतफहमी थी कि एसटीईटी / 1 आईटीईटी और बीएड की योग्यता प्राप्त करने से छूट आने वाले सभी समय के लिए दी जाती है। हालांकि, जब याचिकाकर्ताओं के वकील को सूचित किया गया कि इस गौरी ने 2012 की सिविल रिट याचिका संख्या 21611 में विजयजयंती जाखड़ बनाम हरियाणा स्कूल शिक्षक चयन शीर्षक से अपने निर्णय दिनांक 30.11.2012 में पहले ही विचार कर लिया है, तो 1.4.2015 तक इन योग्यताओं को प्राप्त करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अनुपम गुप्ता और अन्य वकील ने इस स्थिति को स्वीकार किया। हम निम्नलिखित उद्धरण उद्धृत करते हैं जो सरकार के रुख को बहुत स्पष्ट करता है: -

दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह लाभ केवल उन उम्मीदवारों को दिया जा सकता है जो पैरा सी (i) में निहित आवश्यकता को पूरा करते हैं अर्थात केवल उन उम्मीदवारों को जिन्होंने 11.4.2012 तक न्यूनतम चार वर्षों के लिए शिक्षकों के रूप में काम किया है और उस तारीख को सेवा में हैं। इन परिस्थितियों में विचार के लिए जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि "क्या एक तरफ पैरा सी (i) और सी (ii) में उल्लिखित पात्रता शर्तें और एक तरफ संक्रमणकालीन प्रावधान पारस्परिक रूप से अनन्य हैं या एक उम्मीदवार को सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है?" दिनांक 3.12.2012 को जारी उपर्युक्त शुद्धिपत्र के बाद, उसके दो दिनों के भीतर, I3oard द्वारा 5.7.2012 को दी गई सार्वजनिक सूचना द्वारा इस प्रावधान की व्याख्या जारी की गई, जो निम्नानुसार है:

"व्याख्या संक्रमणकालीन प्रावधान शुद्धिपत्र, दिनांक 3.7.2012 संदर्भ शुद्धिपत्र दिनांक 3.7.2012, एचएसटीएसबी शुद्धिपत्र 3.7.2012 के पैरा 4 में संक्रमणकालीन प्रावधान कुछ आवेदकों द्वारा अलगाव में

व्याख्या किया गया प्रतीत होता है। हरियाणा स्लेट लेक्चरर स्कूल कैडर (ग्रुप- सी) सेवा नियम, 1998 पात्रता लागू होती है बशर्ते आवेदक "सभी पदों के लिए सामान्य" शीर्षक के तहत दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं अल पॉइंट (ए), (बी), (सी) (i) और (सी) (ii)। बिंदु (डी) अभी भी लागू है और अब उपर्युक्त सेवा नियम, 1998 के तहत आवेदकों के लिए संशोधित किया गया है और आवश्यक योग्यता (ईक्यू), विषय संयोजन, बीएड और स्नातकोत्तर डिग्री में राहत देता है जिसे प्रासंगिक श्रेणी के तहत निर्दिष्ट किया गया है पीजीटी गणित, जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान और इतिहास के पैरा 4 के तहत इतिहास।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि पैरा संख्या 4 में निहित संक्रमणकालीन प्रावधान को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए। स्पष्ट इरादा केवल उन उम्मीदवारों को छूट देना है जो अंक (ए), (बी), (सी) (i) और (सी) (ii) और (डी) पर "सभी पदों के लिए सामान्य" शीर्षक के तहत दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता केवल तभी लाभ का दावा कर सकती थी जब वह पढ़ा रही हो और उसने चार साल पूरे कर लिए हों

11.4.2012 की स्थिति के अनुसार शिक्षण। चूंकि याचिकाकर्ता ने इस शर्त को पूरा नहीं किया है और उसके पास एचटीईटी/एसटीईटी की योग्यता नहीं है, इसलिए हमारा मानना है कि वह विज्ञापन के अनुसार पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करती है और इसलिए, उसकी उम्मीदवारी को खारिज किया गया सही था।

एकमात्र प्रश्न जिसके लिए निर्धारण की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या इस शर्त में ढील दी जा सकती है।

(26) यह वह पहलू है जिसका उत्तर हम निम्नलिखित पैराग्राफ में देते हैं:

(27) आइए पहले उन परिस्थितियों पर चर्चा करें जिनके तहत जीएफटी की नियुक्ति की गई। पक्षकारों का यह एक सामान्य मामला था कि वर्ष 2005 में, प्रतिवादी-राज्य को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कमी के कारण छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लेकर एक अल्प उपाय/कार्यनीति तैयार की गई थी। सरकार के अनुसार, यह सरकारी स्कूलों में छात्रों की गुणवत्ता और निर्बाध अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए एक ईमानदार प्रयास था। इस उद्देश्य के लिए, सभी संस्थानों के प्रमुखों (प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों) को निर्देश दिया गया था कि वे अपने संबंधित स्कूलों में शिक्षकों की कमी का आकलन संस्वीकृत पदों और छात्रों की संख्या और जहां भी आवश्यक हो, शिक्षकों को उनकी

आवश्यकता के अनुसार 'अवधि' के आधार पर, एक निश्चित पारिश्रमिक पर नियोजित करने के लिए निर्धारित स्कूलों में शिक्षकों की कमी का आकलन करें। इस संबंध में दिनांक 29-11-2005 के अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि यदि रिक्तियों और कार्यभार के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता हो तो प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/डीडीओ संस्था के मुख्य द्वार पर बोर्ड पर आवश्यकता प्रदशत करेंगे। यह भी प्रावधान किया गया था कि इन जीएफटी को उसी गांव/कस्बे के किसी विशेष स्कूल में लगाया जाएगा और यदि उसी गांव/कस्बे के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो उसी ब्लॉक/जिले के उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा, इन अनुदेशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि जब कभी नियमित रूप से नियुक्त व्यक्ति को उस स्कूल में तैनात किया जाता है, संस्था का प्रमुख उस श्रेणी के पद के जीएफटी की सेवाओं से दूर हो जाएगा। इसका विरोध नहीं किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीएफटी की नियुक्ति एक विशिष्ट अवधि अर्थात् 31-3-2006 तक के लिए की गई थी। तथापि, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, सकल विदेशी यात्रा 31-3-2006 के बाद भी जारी रही। इसके लिए पहला निर्देश 20.3.2006 को बाल राज सिंह की ईज (सुप्रा) में डिवीजन बेंच द्वारा पारित किया गया था, जिसमें उन्हें नियमित भर्ती किए जाने तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी, हालांकि, साथ ही, यह बहुत स्पष्ट रूप से माना गया था कि वे नियमितीकरण के हकदार नहीं थे और न ही नियमित वेतनमान के हकदार थे। किसी भी कारण से, नियमित नियुक्तियां नहीं की जा सकी और ये जीएफटी जारी रहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बीच, नियमितीकरण के लिए उनका प्रयास फिर से विफल हो गया, क्योंकि बलदेव सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, सीडब्ल्यूपी-387-2007 नामक रिट याचिका को दिनांक 30.8.2007 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

(28) तत्पश्चात् सरकार ने विस्थापित अतिथि शिक्षकों के अस्थायी समायोजन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करते हुए दिनांक 2-12-2008 को अनुदेश जारी किए और 2-3-2009 को अनुदेश भी जारी किए जिनमें इन जीएफटी की निबंधन एवं शर्तों को संविदागत कर्मचारियों के रूप में परिवतत करने का आदेश दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि इन जीएफटी को एसटीईटी पास करने से छूट दी जाएगी और चयन के समय ऊपरी आयु सीमा में आयु में छूट दी जाएगी और उन्हें शिक्षण के लिए 24 अंक देकर जीएफटी होने के लिए अतिरिक्त वेटेज प्रदान किया जाएगा। इन निर्देशों को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 6.4.2010 के निर्णय के तहत अशोक कुमार के मामले (सुप्रा) में रद्द कर दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मोहिंदर कुमार (सुप्रा) मामले में बरकरार रखा था। हमने पहले ही अशोक कुमार (सुप्रा) में फैसले के प्रासंगिक हिस्से को निकाल लिया है, जिससे यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने अतिथि संकाय शिक्षक के रूप में प्राप्त अनुभव के लिए 24 अंकों तक के अंक देने के वेटेज के खिलाफ फैसला

किया था, जिसे इन जीएफटी को देने की मांग की गई थी, क्योंकि इतने अंकों का वेटेज देने से केवल नियमित सेवा में जीएफटी की नियुक्ति का प्रभाव पड़ेगा जो गंभीर होता अन्य अधिक योग्य उम्मीदवारों के साथ भेदभाव। जहां तक एसटीईटी पारित करने से छूट का संबंध है, न्यायालय ने इसे अस्वीकार्य माना क्योंकि नियमों के अनुसार छूट केवल वैध कारणों से दी जा सकती है और छूट देते समय ऐसे कोई कारण दर्ज नहीं किए गए थे।

(29) इस पृष्ठभूमि में हमें नियम, 2012 की वैधता की जांच करनी होगी। जीएफटी या शिक्षण अनुभव के रूप में शिक्षण के लिए कोई वेटेज/अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है। यह विश्राम की शक्ति का प्रयोग करने का मामला भी नहीं है। इसके बजाय, जहां तक आयु में छूट का संबंध है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जहां तक एसटीईटी और बीएड पास करने की शर्त में छूट का संबंध है, अब 2012 के नियम, जो प्रकृति में वैधानिक हैं, स्वयं इसके लिए प्रदान करते हैं, इसलिए, विचार के लिए उठने वाला पहला प्रश्न नियमों में ही परिशिष्ट 'बी' के नोट (i) की वैधता है जो इस तरह की छूट प्रदान करता है।

(30) ये नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए हैं। ऐसे नियमों के चरित्र को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूएस वडेरा बनाम भारत संघ (2) के मामले में समझाया गया है, जो एक कानून/क़ानून के बराबर है। निम्नलिखित चर्चा, इस ओर से, एक उद्धरण के योग्य है:

"24. यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 309 के परंतुक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'इस तरह बनाए गए किसी भी नियम का प्रभाव होगा, जो ऐसे किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा'। संविधान में प्रयुक्त स्पष्ट और असंदिग्ध अभिव्यक्तियों को उनका पूर्ण और अप्रतिबंधित अर्थ दिया जाना चाहिए, जब तक कि किसी भी सीमा से बचाव न किया जाए। ऐसे नियम, जिन्हें उपबंध की शपथ संविधान के अधीन रहते हुए ऐसे किसी अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होना चाहिए। यह है कि, यदि उपयुक्त विधान-मंडल ने अनुच्छेद 309 के तहत एक अधिनियम पारित किया है, तो परंतुक के तहत बनाए गए नियम, उस अधिनियम के अधीन प्रभावी होंगे; लेकिन, समुचित विधानमंडल के किसी अधिनियम के अभाव में, मामले पर, हमारी राय में, राष्ट्रपति या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जैसा वह निदेश दें, बनाए गए नियम भावी और भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होंगे। ऊपर बताई गई सीमाओं के अलावा, ऐसे नियमों के संचालन के दायरे के संबंध में अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा कोई अन्य नहीं लगाया गया है। दूसरे शब्दों में, नियम, जब तक कि उन्हें भाग III या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान के उल्लंघन जैसे आधारों पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है, को लागू किया जाना चाहिए, यदि उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा बनाया गया हो।

इसी विचार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले में दोहराया गया था यूएस यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (3), निम्नलिखित तरीके से

"44. यह इस संदर्भ में है कि अनुच्छेद 309 का परंतुक प्रासंगिकता और महत्व मानता है। राज्य विधायिका के पास राज्य के न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कानूनों को पारित करने की शक्ति है। लेकिन उस विषय पर विधायिका द्वारा कानून पारित होने तक उस शक्ति के प्रयोग को सक्षम करने के लिए एक उपयुक्त प्रावधान करना आवश्यक था। संविधान अपने प्रावधानों द्वारा पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करता है कि यह एक शून्य को नापसंद करता है। इसलिए इसने उन स्थितियों से निपटने के प्रावधान किए हैं जो उस शक्ति का प्रयोग न करने वाली शक्ति के अंतिम भंडार के कारण उत्पन्न होती हैं। अनुच्छेद 309 का परंतुक, जहां तक सामग्री है, उपबंध करता है कि जब तक राज्य विधानमंडल उस विषय विशेष पर विधि पारित नहीं करता है, तब तक राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने का अधिकार होगा। राज्यपाल इस प्रकार कदम उठाता है जब विधायिका कार्य नहीं करती है। परंतुक के तहत राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति इस प्रकार एक शक्ति है जिसे विधायिका प्रयोग करने के लिए सक्षम है लेकिन वास्तव में अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है। यह विधायी की विशेषताओं का हिस्सा है, कार्यकारी नहीं, शक्ति। यह विधायी शक्ति है।

45 . हमारे संविधान के तहत राज्यपाल के पास विधायी शक्ति है, यह निर्विवाद है और इसलिए, अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत राज्यपाल की शक्ति के विधायी शक्ति की प्रकृति में होने के बारे में कुछ भी अनूठा नहीं है

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियमों में न केवल वैधानिक चरित्र है, बल्कि ऐसे नियमों को स्वयं कानून का स्वरूप दिया गया है। एक बार जब यह स्थिति स्वीकार कर ली जाती है, तो यह दलील कि पूर्वोक्त नोट की शुरूआत दुर्भावनापूर्ण है, पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक क़ानून को दुर्भावना के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इस संबंध में कानून उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला पर आधारित है। तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम के. श्याम सुंदर और अन्य (4) के मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय का उल्लेख करना पर्याप्त होगा, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की थी:-

"22. इस न्यायालय द्वारा लगातार यह माना गया है कि दुर्भावनापूर्ण के सिद्धांत में विधायिका की ओर से सदाशयता या दुर्भावनापूर्ण का कोई प्रश्न शामिल नहीं है क्योंकि इस तरह की आसानी से न्यायालय

किसी विशेष कानून को लागू करने के लिए विशेष विधायिका की क्षमता के सीमित मुद्दे से संबंधित है। यदि विधायिका किसी विशेष अधिनियम को पारित करने के लिए सक्षम है, तो जिन उद्देश्यों ने इसे एक अधिनियम के लिए प्रेरित किया, वे वास्तव में अप्रासंगिक हैं।

XX XX XX XX

46 किसी क़ानून को लागू करते समय विधायिका का उद्देश्य महत्वहीन है: "द्वेष या उद्देश्य बिंदु के बगल में है, और दुर्भावना के स्कोर पर संसदीय अक्षमता का सुझाव देने की अनुमति नहीं है।

(31) राज्य ने न्यायोचित समय में छूट प्रदान करने की भी मांग की है। पहली जगह में। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, यह छूट स्थायी नहीं है। यह न केवल जीएफटी को दिया जाता है बल्कि अन्य शिक्षकों को भी दिया जाता है जो सरकारी स्कूलों और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, यदि उनके पास 11042012 की स्थिति के अनुसार चार वर्ष का शिक्षण अनुभव है। इसके अलावा, यदि इनमें से कोई भी शिक्षक नियुक्त किया जाता है, तो उसे 1 अप्रैल, 2015 तक इन योग्यताओं को हासिल करना आवश्यक है।

(32) इस प्रकार, इस प्रावधान द्वारा, उन्हें केवल दो पदों के लिए विचार किए जाने के योग्य बनाया जाता है। इस प्रावधान के लिए औचित्य, जैसा कि श्री राणा, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा बताया गया था, यह था कि जीएफटी या अन्य शिक्षक, अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय, सभी अपेक्षित पात्रता शर्तों को पूरा कर रहे थे। उस समय, एसटीईटी/एचटीईटी उत्तीर्ण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिसे केवल वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। जहां तक बीएड की योग्यता का सवाल है, यही स्थिति थी। संक्षेप में, निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

(क) जीईएफएस के रूप में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय, वे पीजीटी शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता शर्तों को पूरा कर रहे थे;

(ख) छूट का प्रावधान उन्हें इन योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए 1 अप्रैल, 2015 तक इन योग्यताओं को प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए किया गया है, क्योंकि इन पात्रता शर्तों को क्रमशः वर्ष 2008 और 2012 में पेश किया गया है;

(ग) उम्र में कोई छूट नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त, चयन के समय शिक्षण अनुभव को कोई महत्व नहीं दिया जाता है जैसाकि पहले किया जाना था।

(घ) उन्हें केवल अन्य उम्मीदवारों के साथ अपनी योग्यता के आधार पर विचार करने के योग्य बनाया जाता है। इसके अलावा, यह न केवल जीएफटी है बल्कि सरकारी, स्कूलों और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के अन्य सभी शिक्षकों को समान उपचार दिया जाता है।

(ग) श्री राणा के साथ-साथ श्री चतरथ द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उनके शिक्षण अनुभव के संबंध में इस तरह की छूट न्यायालयों द्वारा स्वीकार्य और मान्यता प्राप्त है, (देखें केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस (5)।

(33) न्यायालयों ने माना है कि जब किसी विशेष प्रावधान को शिथिल करने की शक्ति होती है, तो सरकार किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई को कम करने और न्यायसंगत और न्यायसंगत तरीके से मामले से निपटने के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। यादव बनाम हरियाणा राज्य (6) और केके खोसला और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (7)। वर्तमान मामले में, इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने का भी सवाल ही नहीं उठता क्योंकि प्रावधान नियमों में ही किया गया है जो प्रकृति में विधायी है। इस प्रकार, यह एक नीतिगत निर्णय है जिसे वैधानिक आकार दिया गया है।

(34) एक बार जब हम इस मामले पर पूर्वोक्त रूप से विचार करते हैं, तो यह तर्क भी विफल हो जाता है कि सरकार ने समान और असमान के साथ समान व्यवहार किया है। यदि यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि इन जीएफटी या सरकारी स्कूलों/मान्यता प्राप्त स्कूलों के अन्य शिक्षक, जिनके पास चार साल का अनुभव है, केवल विचार के लिए पात्र हैं। चयन प्रक्रिया में, इन जीएफटी आदि पर अन्य के साथ-साथ उनकी अपनी योग्यता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और चयन प्रक्रिया में, यह केवल योग्यता है जो उनके शिक्षण अनुभव के लिए बिना किसी महत्व के प्रबल होती है। चयन समिति उन्हें कोई वरीयता या अनुकूल उपचार नहीं दे सकती है। यदि ऐसा किया जाता है, तो चयन पर हमेशा सवाल उठाया जा सकता है और चुनौती दी जा सकती है।

(35) एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि नियमों में परिशिष्ट 1 बी में नोट (i) में उपरोक्त प्रावधान कानून में मान्य है और किसी भी कानूनी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है, तो इसका प्रभाव यह है कि ये जीएफटी और चार साल के अनुभव वाले अन्य शिक्षक भी पात्र हो जाते हैं। केवल इसलिए कि इससे अभ्यथयों की छंटनी होगी, क्योंकि आवेदकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने की आशा है, इसका अपने आप में यह अर्थ नहीं होगा कि इन जीई को अपात्र माना जाएगा। यह ट्राइट है कि यदि आवेदनों की संख्या बहुत अधिक है, तो उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करने के लिए पात्रता बार उठाया जा सकता है।

(36) हम यह भी स्वीकार करते हैं कि एचटीईटी/एसटीईटी के पारित होने के कुछ औचित्य हैं जैसा कि एनसीई ने भी जोर दिया है। हालांकि, तथ्य यह है कि यह पहले की योग्यता नहीं थी जब इन जीएफटी ने पढ़ाना शुरू किया था, इसके अलावा, वे यह सब तब और वर्तमान में भी पढ़ा रहे हैं। इसलिए, केवल इसलिए कि उन्हें इस एसटीईटी को पारित करने के लिए कुछ समय दिया गया है, अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 तक, उनके शिक्षण अनुभव को ध्यान में रखते हुए, इसका परिणाम इस स्तर पर उन्हें विचार करने से वंचित नहीं करना होगा।

(37) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को खारिज करते हैं कि नियम, 2012 के परिशिष्ट 'बी' में नोट (i) अवैध या असंवैधानिक है।

(38) कुछ रिट याचिकाओं में उठाए गए एक पहलू पर चर्चा की जानी शेष है, अर्थात् कुछ ऐसे जीएलटी और अन्य शिक्षक, जिनके पास चार वर्ष का अनुभव है लेकिन 11042012 की स्थिति के अनुसार सेवा में नहीं थे, को विचार से बाहर रखा गया है। जहां तक 2012 के नियमों में नोट (i) का संबंध है, इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि ऐसे शिक्षक नियमों के प्रवर्तन की तारीख यानी 11.4.2012 को सेवा में रहेंगे। छूट तब दी जाती है जब उन्होंने इन नियमों के लागू होने की तारीख को कम से कम चार साल तक शिक्षक के रूप में काम किया हो। इसका अर्थ है कि उन्हें चार वर्ष की अवधि तक कार्य करना चाहिए था और इस चार वर्ष की अवधि की गणना 11042012 की कट ऑफ तारीख लेते हुए की जानी है। हम इस शर्त को निर्धारित करने में कोई औचित्य या औचित्य नहीं देखते हैं। एक बार जब हम सरकार के इस तर्क को स्वीकार कर लेते हैं कि चार वर्षों के अनुभव के कारण नियमों में उन्हें छूट देने का प्रावधान किया गया है, तो ऐसे लाभ उन सभी को दिए जाने की आवश्यकता है जिनके पास अपेक्षित चार वर्ष का अनुभव है, चाहे वे 11042012 को कार्य कर रहे हों या नहीं। यह तब और भी अधिक है जब 2012 के नियम ऐसी किसी शर्त को निर्धारित नहीं करते हैं और विज्ञापन में इसे निर्धारित करना नियमों के विपरीत है।

(39) अतः हम मानते हैं कि वे सभी व्यक्ति जिनके पास 11.04.2012 को नियमों के लागू होने की तारीख को न्यूनतम चार वर्ष की अवधि के लिए शिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव है, विचाराधीन पदों के लिए विचार किए जाने के हकदार होंगे कि क्या वे वास्तव में 11.4.2012 को सेवा में थे या नहीं। तदनुसार, ऐसे शिक्षकों की रिट याचिकाओं की अनुमति दी गई। परिणाम, 2012 के एलपीए नंबर 1715 की भी अनुमति है। अन्य रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। 'लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आकाश सरोहा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा